राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4354/2025

सीमा सागर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्किम, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्किम, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.09.2025
आदेश की दिनांक : 06.10.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री इलियास खान, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर उप स्वास्थ्य केन्द्र घीसेड़ा जिला डीग में कार्यरत है। अपीलार्थी एक गति–बाधित दिव्यांग अभ्यर्थी है, जिसके पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता का दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है (अनुलग्नक–1)। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.10.2020 द्वारा अपीलार्थी को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मोजमाबाद, जयपुर में पदस्थापित करने का आदेश दिया गया, जहाँ पर अपीलार्थी ने दिनांक 29.11.2020 (अनुलग्नक–2) को कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.06.2023 के द्वारा अपीलार्थी को उप स्वास्थ्य केंद्र घीसेड़ा में पदस्थापित करने का आदेश दिया गया। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 20.06.2023 (अनुलग्नक–3) के द्वारा कार्यभार ग्रहण किया। अपीलार्थी का

पति भी गतिहीन दिव्यांग अभ्यर्थी हैं और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त हैं (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी की दो बेटियाँ हैं, श्रुति कुमारी और ऋषिका तैनगुरिया, जिनकी उम्र क्रमशः 9 और 3 वर्ष है। श्रुति पढ़ाई कर रही है। अपीलार्थी भरतपुर जिले की निवासी है और वर्तमान में उप–स्वास्थ्य केंद्र घीसेड़ा में कार्यरत है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घाटमीका, जिला डीग के अंतर्गत आता है और उसके मूल निवास स्थान भरतपुर से 114 किमी दूर स्थित है। उनका कथन है कि उप–स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत कार्य करता है, लेकिन वर्तमान में उप–स्वास्थ्य केंद्र घीसेड़ा अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि भवन का निर्माण नहीं हुआ है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के परिपत्र दिनांक 20.07.2000 (अनुलग्नक–7) के द्वारा राज्य सरकार की नीति के अनुसार, दिव्यांगजनों को उनकी योग्यता के बावजूद स्थानांतरण/पदस्थापना में वरीयता दी जानी आवश्यक है। राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 13.05.2010 के द्वारा अधिनियम 1995 के प्रावधानों के मद्देनजर दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले में पदस्थापित करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 18.07.2022 को इस संबंध में एक और आदेश भी जारी किया जिसमें यह विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि विकलांग उम्मीदवार को उनके वांछित स्थान पर तैनात किया जाएगा। व्याख्याता (हिन्दी) मनसुख लाल गुप्ता ने अपने स्थानांतरण को चुनौती देते हुए प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.12.2019 (अनुलग्नक–8) के द्वारा मनसुख लाल गुप्ता के अभ्यावेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि राज्य द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 के अनुसार, उन उम्मीदवारों के स्थानांतरण के लिए शिकायत/अभ्यावेदन जो 100 प्रतिशत दृष्टि बाधित, 70 प्रतिशत से अधिक विकलांग, कैंसर के रोगी, किडनी प्रत्यारोपण, हृदय रोगी, विधवा और शहीद की पत्नी को प्राथमिकता में रखा गया है। इस संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 16.09.2025 (अनुलग्नक–9) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने अपनी समस्याएँ बताते हुए प्रत्यर्थी विभाग से अनुरोध किया कि उसे भरतपुर जिले के शहरी क्षेत्र में नियुक्ति दी जाए, जो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अनुकूल हो और जहाँ वह अपना कार्य कर सके। लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के अनुरोध/परिवेदना पर विचार नहीं किया। उप स्वास्थ्य केंद्र नगला ढोर, ब्लॉक सेवर, जिला भरतपुर में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद रिक्त है, जहाँ अपीलार्थी को तैनात किया जा सकता है। अपीलार्थी चलने–फिरने में अक्षम है, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के

बावजूद अपीलार्थी के मामले पर विचार नहीं किया गया है, जो मनमाना अनुचित है। अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान ग्रामीण क्षेत्र में है और स्थानांतरण का कोई उचित साधन उपलब्ध नहीं है। विकलांग होने के कारण अपीलार्थी को दैनिक कार्यरत स्थान तक पहुँचने में कठिनाई हो रही है। प्रत्यर्थी विभाग का यह कर्तव्य है कि वे अपीलार्थी को ऐसे स्थान पर पोस्टिंग/स्थानांतरण दें जहां वह बिना किसी बाधा/रुकावट के अपने कर्तव्यों का पालन कर सके लेकिन प्रत्यर्थी विभाग अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 3323/2019 संजय कुमार मीणा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.12.2019 (अनुलग्नक–10), डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 843/2021 मोहद नासिर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2022 (अनुलग्नक–11) एवं एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 16113/2022 धर्म सिंह नापित बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.03.2023 (अनुलग्नक–12) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को, जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाली चलन विकलांग उम्मीदवार है, उसके गृह जिले अर्थात भरतपुर के शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग/स्थानांतरण किये जाने आदेश फरमाये जावे एवं न्याय के हित में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 और प्रत्यर्थी विभाग के परिपत्र/नीति/दिशा–निर्देश दिनांक 18.07.2022, 13.05.2010 और 20.07.2000 की आवश्यकता के अनुसार बिना किसी बाधा/रुकावट और किसी की सहायता के बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर सके तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 20 की उपधारा (5) में दिए गए प्रावधान के अनुसार दिव्यांगजनों के स्थानांतरण एवं पोस्टिंग के संबंध में नीति तैयार करने का निर्देश दिया जाए।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य